"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 584] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014— कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–96/18/2014 (1) .— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पालिका बालोद, जिला–बालोद** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	अनुसूचित जाति वर्ग	7	गुरू घासीदास वार्ड
2	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	13	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति वर्ग	15	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	17	शीतला वार्ड
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	महामाया वार्ड
		8	गणेश वार्ड
		16	शहीद गैंद सिंह वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	सुभाष वार्ड
		12	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
7	महिला वर्ग	2	संजय नगर वार्ड

		9	सरदार पटेल वार्ड
		18	तिलक वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र एफ 1-96/18/2014 (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-96/18/2014 (1) दिनांक 07-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-96/18/2014 (1).— The list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Balod, Distt. Balod** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl No.	Reservation for Category	Ward No.	Name Of the Wards
1	Scheduled Caste	7	Guru Ghasidas Ward
2	Scheduled Castes (Female)	13	Dr. Ambedkar Ward
3	Scheduled Tribes	15	Shahid Veer Narayan Singh Ward
4	Scheduled Tribes (Female)	17	Sheetla Ward
5	Other Backward Class	3	Mahamaya Ward
		8	Ganesh Ward
		16	Shahid Gaind Singh Ward
6	Other Backward Classes (Female)	10	Subhash Ward
		12	Lal Bahadur Shastri Ward
7	Female	2	Sanjay Nagar Ward
		9	Sardar Patel Ward
		18	Tilak Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–96/18/2014 (2).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पालिका दल्लीराजहरा, जिला– बालोद** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	अनुसूचित जाति वर्ग	18	दंतेश्वरी वार्ड
		23	मदर टेरेसा वार्ड
		27	गुरू घासीदास वार्ड
2	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	25	जगजीवन राम वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	राजहरा बाबा वार्ड
		6	हास्पिटल वार्ड
		17	रानी झमित कुंवर वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	2	आजाद नगर वार्ड
		16	भगत सिंह वार्ड
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	वल्लभ नगर वार्ड
		4	एकलव्य नगर वार्ड
		9	गायत्री मंदिर वार्ड
		13	घोड़ा मंदिर वार्ड
		21	शास्त्री नगर वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	8	राम मंदिर वार्ड
		14	सुदामा नगर वार्ड
7	महिला वर्ग	7	पं.राधाकृष्णन वार्ड
		19	डॉ. अंबेडकर नगर वार्ड
		20	महात्मा गांधी वार्ड
		26	नेहरू नगर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–96/18/2014 (2).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–96/18/2014 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-96/18/2014 (2)— The list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Dallirajhara, Distt. Balod** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl No.	Reservation for Category	Ward No.	Name Of the Wards
1	Scheduled Caste	18	Danteshwari Ward
		23	Mother Terasa Ward
		27	Guru Ghasidas Ward
2	Scheduled Castes (Female)	25	Jagjeewanram Ward
3	Scheduled Tribes	1	Rajhara Baba Ward
		6	Hospital Ward
		17	Rani Jhamit Kunwar Ward
4	Scheduled Tribes (Female)	2	Aazad Nagar Ward
		16	Bhagat Singh Ward
5	Other Backward Class	3	Vallabh Nagar Ward
		4	Eklavya Ward
		9	Gayatri Mandir Ward
		13	Ghora Mandir Ward
		21	Shastri Nagar Ward
6	Other Backward Classes (Female)	8	Ram Mandir Ward
		14	Sudama Nagar Ward
7	Female	7	Pt. Radhakrishnan Ward
		19	Dr. Ambedkar Ward
		20	Mahatma Gandhi Ward
		26	Nehru Nagar Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–96/18/2014 (3).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत गुरूर, जिला– बालोद** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	अनुसूचित जाति वर्ग	14	रानी दुर्गावती वार्ड
2	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	9	शहीद भगत सिंह वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति वर्ग	10	गुरूघासीदास वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	-	निरंक
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	डॉ.अम्बेडकर वार्ड
		7	शीतला माता वार्ड
		8	ठाकुरदई वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	13	रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
7	महिला वर्ग	1	नेताजी सुभाष वार्ड
		3	महात्मा गांधी वार्ड
		12	पं. दीनदयाल वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–96/18/2014 (3).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–96/18/2014 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-96/18/2014 (3).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Gurur, Distt. Balod** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl No.	Reservation for Category	Ward No.	Name Of the Wards
1	Scheduled Caste	14	Rani Durgawati Ward
2	Scheduled Castes (Female)	9	Shahid Bhagat Singh Ward
3	Scheduled Tribes	10	Guru Ghasidas Ward
4	Scheduled Tribes (Female)	0	Nil
5	Other Backward Class	5	Dr. Ambedkar Ward
		7	Sheetla Mata Ward
		8	Thakurdae Ward
8	Other Backward Classes (Female)	13	Ravindranath Taigor Ward
9	Female	1	Netaji Subhash Ward
		3	Mahatma Gandhi Ward
		12	Pt. Dindayal Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–96/18/2014 (4).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत गुण्डरदेही, जिला– बालोद** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	अनुसूचित जाति वर्ग	11	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
2	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	14	मिनीमाता वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति वर्ग	3	शहीद भगत सिंह वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	-	निरंक
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	महात्मा गांधी वार्ड
		4	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
		15	ठाकुर अजय पाल सिंह वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	डॉ.भीमराव आम्बेडकर वार्ड
7	महिला वर्ग	8	संत गुरू घासीदास वार्ड
		12	इंदिरा गांधी नगर वार्ड
		13	रानी दुर्गावती वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–96/18/2014 (4).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–96/18/2014 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-96/18/2014 (4).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Gunderdehi, Distt. Balod** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl No.	Reservation for Category	Ward No.	Name Of the Wards
1	Scheduled Caste	11	Rani Laxmi Bai Ward
2	Scheduled Castes (Female)	14	Minimata Ward
3	Scheduled Tribes	3	Shahid Bhagat Singh Ward
4	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5	Other Backward Class	2	Mahatma Gandhi Ward
		4	Subhashchandra Bose Ward
		15	Thakur Ajay Pal Singh Ward
6	Other Backward Classes (Female)	10	Dr. Bheemrao Ambedkar Ward
7	Female	8	Sant Guru Ghasidas Ward
		12	Indira Gandhi Nagar Ward
		13	Rani Durgawati Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र एफ 1–96/18/2014 (5).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत डौण्डीलोहारा, जिला– बालोद** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	अनुसूचित जाति वर्ग	9	लाल रघुवीर सिंह वार्ड
2	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	5	भारत माता वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	मढियापाट वार्ड
		8	महावीर वार्ड
		10	रानी लक्ष्मी देवी वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	13	संजय नगर वार्ड
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	टिकरापारा वार्ड
		11	डॉ.अम्बेडकर वार्ड
		15	रामनगर वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	जय महाकाली वार्ड
7	महिला वर्ग	6	गुरू घासीदास वार्ड
		7	रानी झमित कुंवर देवी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–96/18/2014 (5).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–96/18/2014 (5) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-96/18/2014 (5).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Doundilohara, Distt. Balod** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl No.	Reservation for Category	Ward No.	Name Of the Wards
1	Scheduled Caste	9	Lal Raghuveer Singh Ward
2	Scheduled Castes (Female)	5	Bharat Mata Ward
3	Scheduled Tribes	1	Madhiya pat Ward
		8	Mahaveer Ward
		10	Rani Laxmi devi Ward
4	Scheduled Tribes (Female)	13	Sanjay Nagar Ward
5	Other Backward Class	2	Tikarapara Ward
		11	Dr. Ambedkar Ward
		15	Ram Nagar Ward
6	Other Backward Classes (Female)	14	Jai Maha Kali Ward
7	Female	6	Guru Ghansidas Ward
		7	Rani Jhamit Kuwar Devi Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–96/18/2014 (6).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत अर्जुन्दा, जिला– बालोद** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	अनुसूचित जाति वर्ग	6	गुरू घासीदास वार्ड
		10	डॉ.अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	2	सुभाषचन्द्रबोस वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति वर्ग	8	बजरंगबली वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	-	निरंक
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	नंगारापाठ वार्ड
		13	मां महामाया वार्ड
		15	राम मंदिर वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
7	महिला वर्ग	1	इंदिरा आवास वार्ड
		3	प्रगति नगर वार्ड
		7	चंदनी चौक वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–96/18/2014 (6).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–96/18/2014 (6) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-96/18/2014 (6).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Arjunda, Distt. Balod** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl No.	Reservation for Category	Ward No.	Name Of the Wards
1	Scheduled Caste	6	Guru Ghasidas Ward
		10	Dr. Ambedkar Ward
2	Scheduled Castes (Female)	2	Subhashchandra Bos Ward
3	Scheduled Tribes	8	Bajrangbali Ward
4	Scheduled Tribes (Female)	0	Nil
5	Other Backward Class	5	Nangarapath Ward
		13	Maa Mahamaya Ward
		15	Ram Mandir Ward
6	Other Backward Classes (Female)	11	Sardar Vallabhbhai Patel Ward
7	Female	1	Indira Aavas Ward
		3	Pragati Nagar Ward
		7	Chandni Chowk Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–96/18/2014 (7).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत डौण्डी, जिला– बालोद** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	अनुसूचित जाति वर्ग	9	सुभाष चंद्र बोस वार्ड
2	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	-	निरंक
3	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	बजरंग वार्ड
		7	सरदार भगत सिंह वार्ड
		10	पं.जवाहरलाल नेहरू वार्ड
		14	रानी झमित कुंवर वार्ड
		15	रानी माई वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	4	दुर्गा मंदिर वार्ड
		8	मदर टेरेसा वार्ड
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	-	निरंक
7	महिला वर्ग	2	छत्रपति शिवाजी वार्ड
		3	महात्मा गांधी वार्ड
		5	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–96/18/2014 (7).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–96/18/2014 (7) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-96/18/2014 (7).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Doundi, Distt. Balod** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl No.	Reservation for Category	Ward No.	Name Of the Wards
1	Scheduled Caste	9	Subhashchandra Bos Ward
2	Scheduled Castes (Female)	-	Nil
3	Scheduled Tribes	1	Bajrang Ward
		7	Sardar Bhagat Singh Ward
		10	Pt. Jawaharlal Nehru Ward
		14	Rani Jhamit Kuwar Ward
		15	Rani Mai Ward
4	Scheduled Tribes (Female)	4	Durga Mandir Ward
		8	Mother Teresa Ward
5	Other Backward Class	-	Nil
6	Other Backward Classes (Female)	-	Nil
7	Female	2	Chatrapati Shiwaji Ward
		3	Mahatma Gandhi Ward
		5	Dr. Radhakrishnan Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–96/18/2014 (8).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत चिखलाकसा, जिला– बालोद** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	अनुसूचित जाति वर्ग	15	महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	-	निरंक
3	अनुसूचित जनजाति वर्ग	4	हनुमान वार्ड
		7	सुभाषचन्द्र वार्ड
		14	झरनमाता वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	1	डॉ.अम्बेडकर वार्ड
		5	शहीद वीरनारायण वार्ड
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	गुरू घासीदास वार्ड
		6	शिव वार्ड
		13	सरदार पटेल वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	3	अटल वार्ड
7	महिला वर्ग	9	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		12	तिलक नगर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. एफ 1–96/18/2014 (8).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–96/18/2014 (8) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-96/18/2014 (8).— The list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Chikhlakasa, Distt. Balod** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl No.	Reservation for Category	Ward No.	Name Of the Wards
1	Scheduled Caste	15	Mahatma Gandhi Ward
2	Scheduled Castes (Female)	-	Nil
3	Scheduled Tribes	4	Hanuman Ward
		7	Subhashchandra Ward
		14	Jharanmata Ward
4	Scheduled Tribes (Female)	1	Dr. Ambedkar Ward
		5	Shahid Veer Narayan Ward
5	Other Backward Class	2	Guru Ghasidas Ward
		6	Shiv Ward
		13	Sardar Patel Ward
6	Other Backward Classes (Female)	3	Atal Ward
7	Female	9	Lal Bahadur Shastri Ward
		12	Tilak Nagar Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.